भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनुदेश/2016-ईपीएस तारीख: 26 दिसंबर, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(1) गोवा, पणजी।

(2) मणिपुर, इम्फाल।

(3) पंजाब, चंड़ीगढ़।

(4) उत्तराखण्ड, देहरादून।

(5) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : <u>गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन- 2017: मतदान केन्द्रों में 'मतदाता सहायता बूथों' (वीएबी) की स्थापना करना- तत्संबंधी।</u>

संदर्भः ईसीआई पत्र सं. 23/लोकेटर/2007-ईआरएस दिनांक 05.11.2007

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है, आयोग ने मतदाताओं को सुचारू, परेशानी रहित तथा सुविधाजनक रूप से अपना मत डालने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए सुविधा तथा सहायता सुनिश्चित करने हेतु कई निर्देश जारी किये हैं, जिनमें मतदान केन्द्रों में 'मतदाता सहायता बूथों' की स्थापना करना भी शामिल है। मतदाता सहायता बूथों के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश ऊपर सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी कर दिये गये थे।

निर्वाचक नामावली में संबंधित मतदाता के सही मतदान बूथ तथा क्रम सं. की आसानी से पहचान करने के द्वारा मतदान दिवस को इन मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें मद्द करने में इन मतदाता सहायता बूथों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका, जिससे सुलभ तथा निर्बाध मतदान कराए जाते हैं, पर विचार करते हुए, **आयोग ने प्रत्येक मतदान केन्द्र अवस्थिति के लिए मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने का निर्णय लिया है।**

तद्नुसार, आयोग, एतद्द्वारा, अपने पूर्व के अनुदेशों में निम्नांकित रूप में आशिंक रूप से संशोधन करता हैः-

1. ऊपर उद्धृत पत्र द्वारा जारी अनुदेश का पैरा 3(i) विलोपित हो गया है और नया पैरा 3(i) के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैः-

"प्रत्येक मतदान केन्द्र परिसर/भवन की अवस्थिति के लिए मतदान बूथों की संख्या पर विचार किए बिना, एक मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक मतदाता सहायता बूथ के लिए कार्मिकों का एक दल नियुक्त किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संबंधित मतदान बूथ में उस निर्वाचक

नामावली में मतदाता को अपने मतदान बूथ तथा उसकी क्रम संख्या का पता लगाने में उन्हें सुविधा प्रदान करना है।

2. पूर्व के अनुदेशों का पैरा **3(**ii) निम्नानुसार संशोधित हो गया हैः
"संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 'मतदाता सहायता बूथ' के लिए व्यवस्थाएं जैसे- मेज, तैनात किए गए स्टॉफ के बैठने के लिए कुर्सियां आदि सहित बुनियादि फर्नीचर, उपयुक्त शेड सहित एक छोटी कवर्ड कैनोपी/तम्बू तथा 'मतदाता सहायता बूथ' लिखा हुआ बैक ड्रॉप बैनर के रूप में प्रमुख साइनेज एवं मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए दिशा संकेतक लगाने के लिए पहले से व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।" संलग्न अनुबंध के अनुसार 'मतदाता सहायता बूथ' का सांकेतिक डिजाइन संलग्न है।

3. ऊपर संदर्भित पूर्व के अनुदेश का पैरा **3(**IX) **विलोपित** हो गया है। कृपया इस पत्र की पावती दें और यह पुष्टि करें कि सुसंगत अनुदेशों को आवश्यक अनुपालन हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया गया है।

भवदीय,

(निखिल कुमार)
निदेशक